

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक / रीडर / 2022 / 156

दिनांक :- 15.3.2022

मुकदमा नंबर 194 / 2021

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
<ol style="list-style-type: none"> पेमाराम पुत्र श्री दीपाराम श्रीमति फुली देवी पत्नि श्री दीपाराम रूपाराम पुत्र श्री हडमानराम कमलेश पुत्र श्री हडमानराम नाबालिक जरिये कुदरती वलीया माता श्रीमति मुनी पत्नि श्री हडमानराम। चोलाराम पुत्र श्री देदाराम जातियान सभी जाट निवासीगण ग्राम वाडीयों की ढाणी कोरना तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर। 		<ol style="list-style-type: none"> भूराराम पुत्र श्री अचलाराम जाति जाट निवासी जास्ती तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर। नाराराम पुत्र भीयाराम जवाराराम पुत्र भीयाराम उम्मेदाराम पुत्र भीयाराम श्रीमति रायदेवी पत्नि भीयाराम नाहराराम पुत्र भीयाराम बालूराम पुत्र श्री चौथाराम ओमप्रकाश पुत्र श्री चौथाराम सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम वाडीयों की ढाणी कोरना तहसील पचपदरा जिला बाडमेर। पीराराम पुत्र देदाराम बुधाराम पुत्र श्री देदाराम सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम जास्ती तहसील पचपदरा जिला बाडमेर। राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार कल्याणपुर



आदेश

दिनांक :- 15.03.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा वाडीयो की ढाणी पटवार क्षेत्र कोरना भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब तहसील कल्याणपुर में मूल खसरा संख्या 439 रकबा 114 बीघा 07 बिस्वा विभाजन होने पर खसरा संख्या 439 रकबा 61 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 765/439 रकबा 52 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 527 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा विभाजन होने पर खसरा संख्या 527 रकबा 5 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 766/527 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा व खसरा संख्या 443 रकबा 39 बीघा 15 बिस्वा विभाजन होने पर 443 रकबा 3 बीघा बिस्वा, खसरा संख्या 735/443 रकबा 36 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 445 रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 458 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 492 रकबा 36 बीघा 10 बिस्वा का विभाजन होने पर 492 रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 736/492 रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 525 रकबा 0-17 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पथगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र

उप न्यायालय सहायक कलेक्टर
बालोतरा (बाडमेर)

का प्रेश की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

क्रमांक / शीडर / 2022 / 157 - 161

दिनांक :-

1. तहसीलदार कल्याणपुर पालना प्रस्तुत करते वक़्त पत्र पर निर्णय की लिखि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डली को पालना हेतू
3. पटवारी क्षेत्र थोब तहसील पचपदरा को भेजकर लेख है कि निधारित लिखि का मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थीगण धेमारास पुत्र दीपारास जाट निवासी वाडीयां की टापी कोरेना तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर ।
6. विप्रार्थीगण मूराराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी ग्राम जास्सी, तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर ।



उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा